



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1661]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2019/ज्येष्ठ 7, 1941

No. 1661]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2019/ JYAISTHA 7, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

का.आ.1858(अ).- विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड-2 के उप-खंड(2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा मुख्य आप्रवासन अधिकारी, देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट, इन्दौर को मध्यप्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन्दौर एयरपोर्ट स्थित आप्रवासन जांच चौकी के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ दिनांक 28-5-2019 से "सिविल प्राधिकारी" नियुक्त करती है।

[फा. सं. 25022/32/2018-आप्रवासन]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

S.O.1858 (E).—In pursuance of Sub-Clause (2) of clause 2 of the Foreigners Order 1948, the Central Government hereby appoints the Chief Immigration Officer, Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore as the "Civil Authority" for the purposes of the said Order for the Immigration Check Post located at Indore Airport in the jurisdiction of Madhya Pradesh State with effect from 28.5.2019.

[F. No. 25022/32/2018-Imm.]

ANIL MALIK, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

का.आ.1859(अ).—पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमावली, 1950 के नियम-3 के उप-नियम (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य के देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट, इन्दौर को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 25022/32/2018-आप्रवासन]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

S.O. 1859(E).—In pursuance of sub-rule (b) of rule 3 of the Passport (Entry into India) Rules, 1950, the Central Government hereby designates Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore of Madhya Pradesh State as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India with valid travel documents for all classes of passengers.

[F. No. 25022/32/2018-Imm.]

ANIL MALIK, Jt. Secy.